भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3229**

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

**आयुष दवाओं की गुणवत्ता और परीक्षण का सुदृढ़ीकरण**

3229. श्री के. ई. प्रकाश

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिक्स ट्रेडिशनल, कांपलीमेंटरी एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन (टीसीआईएम) पहल के संदर्भ में केंद्र सरकार ने आयुष दवाओं के गुणवत्ता आश्वासन, विषाक्तता परीक्षण और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण को सुदृढ़ करने के लिए कोई उपाय प्रस्तावित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु में सहायताप्राप्त केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं, गुणवत्ता-परीक्षण सुविधाओं या प्रयोगशाला उन्नयन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुगम बनाने तथा तमिलनाडु सहित जड़ी-बूटी उत्पादक क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयुष उत्पादों की परीक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आयुष दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता प्रमाणन और वैज्ञानिक सत्यापन को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क): 21 से 24 जुलाई, 2026 तक चंडीगढ़ में आयोजित 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के दौरान, ब्रिक्स सदस्य देशों ने ब्रिक्स स्वास्थ्य ट्रैक के अंतर्गत पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा (टीसीआईएम) पर ब्रिक्स विशेषज्ञ कार्य समूह की स्थापना के लिए विचारार्थ विषय (टीओआर) को अंतिम रूप दिया। कार्य समूह की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई है:

(i) नीतिगत संवाद और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना;

(ii) अनुसंधान और साक्ष्यसृजन- में सहयोग का सुदृढ़ीकरण करना;

(iii) क्षमता निर्माण, अकादमिक आदानप्रदा-न और संस्थागत साझेदारी को बढ़ावा देना;

(iv) डिजिटल सहयोग और ज्ञानसाझाकरण को बढ़ावा देना-;

(v) टीसीआईएम में नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदानप्रदान को प्रोत्साहित करना-;

(vi) पारंपरिक एवं स्वदेशी लोगों के ज्ञान एवं देखभाल प्रौद्योगिकियों पर बौद्धिक संपदा और उपयोग अधिकारों की मान्यता एवं संरक्षण हेतु नीतियों और तंत्रों के विकास के लिए सहयोग का सुदृढ़ीकरण करना;

(vii) टीसीआईएम दृष्टिकोणों के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना।

(ख): आयुष मंत्रालय, भारत सरकार आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को क्रमश: विश्व स्वास्थ्य संगठन के बेहतर विनिर्माण प्रथाओं (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) और राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) जैसे उच्च मानकों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना को स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा 16.03.2021 को पांच वर्षों के लिए 122.00 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था।

चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2026-27 के दौरान, एओजीयूएसवाई योजना के अंतर्गत आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन घटक के तहत राज्य सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, तमिलनाडु को 68,00,000/- रुपये का सहायता अनुदान प्रदान किया गया है।

(ग) और (घ): आयुष मंत्रालय ने आयुष औषधियों के लिए गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं, जिनमें गुणवत्ता प्रमाणीकरण और वैज्ञानिक सत्यापन के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है, ताकि तमिलनाडु सहित पूरे देश में आयुष औषधियों की वैश्विक स्वीकृति और निर्यात को बढ़ाया जा सके।

i. आयुष मंत्रालय, आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को क्रमशः डब्ल्यूएचओ-जीएमपी और राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) जैसे उच्च मानकों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) और अन्य संबंधित वैज्ञानिक संस्थानों तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों और सामग्रियों के मानकों के विकास और प्रत्यायन/प्रमाणीकरण में भी सहायता प्रदान की जाती है।

ii. आयुष मंत्रालय द्वारा औषधि नियम, 1945 के नियम 160-क से 160-ञ के अंतर्गत औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को आयुष दवाओं की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता और शक्ति से संबंधित परीक्षण करने के लिए अनुमोदित किया गया है। आदिनांक, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 118 निजी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे परीक्षण करने के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि निरीक्षकों द्वारा लिए गए वैध नमूनों के परीक्षण के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों में 34 औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं।

iii. आयुष मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ संगठन, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच), आयुष औषधियों के लिए फार्माकोपियल मानक और

फार्मूलरी विनिर्देश विकसित करता है, जो उनकी पहचान, शुद्धता और शक्ति निर्धारित करने के लिए आधिकारिक संग्रह के रूप में कार्य करता है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत इन मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। पीसीआईएमएंडएच आयुष औषधियों के लिए अपीलीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है और आयुष औषधियों के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करने के लिए औषधि नियामक प्राधिकरणों, औषधि विश्लेषकों और अन्य हितधारकों के लिए मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण पद्धतियों पर नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है।

iv. आयुष मंत्रालय ने आयुष विज्ञान में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान, समन्वयन, निरूपण, विकास और संवर्धन करने के लिए अनुसंधान परिषदों की स्थापना भी की है। इन परिषदों की अनुसंधान गतिविधियों में नैदानिक अनुसंधान, औषधि मानकीकरण, औषध विज्ञान अनुसंधान, औषधीय पादप अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान और प्रलेखन कार्यक्रम, मौलिक अनुसंधान, फार्माकोपिलय अनुसंधान और जन स्वास्थ्य अनुसंधान शामिल हैं।

v. आयुष औषधियों के लिए डब्ल्यूएचओ फार्मास्युटिकल उत्पाद प्रमाणपत्र (डब्ल्यूएचओ-सीओपीपी) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा जारी किया जाता है, जो आयुष क्षेत्र में तैनात औषधि निरीक्षकों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और सीडीएससीओ के औषधि निरीक्षकों के साथ संयुक्त निरीक्षण के बाद जारी किया जाता है, ताकि हर्बल दवाओं के लिए डब्ल्यूएचओ तकनीकी रिपोर्ट श्रृंखला (टीआरएस) दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

vi. आयुष मंत्रालय ने आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (आयुषएक्सिल) के माध्यम से आयुष गुणवत्ता चिह्न (एक्यूएम) पहल शुरू की है। इस ढांचे के तहत, सक्षम सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी वैध गुणवत्ता प्रमाणपत्रों और वैधानिक अनुमोदनों, जैसे कि डब्ल्यूएचओ-जीएमपी, आयुष प्रीमियम चिह्न और अन्य मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्रों की जांच और सत्यापन के बाद आयुष गुणवत्ता चिह्न प्रदान किया जाता है।

vii. आयुष दवाओं को भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन के आधार पर आयुष मानक चिह्न और आयुष प्रीमियम चिह्न प्रदान किए जाते हैं।

******